

भारत सरकार, खान मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES भारतीय खान ब्यूरो , क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय- रायपुर INDIAN BUREAU OF MINES, OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES, RAIPUR

फोन- 2282530-0771 2285590/ / 95, ईमेल - <u>ro.raipur@ibm.gov.in</u>

फाइल संख्या - CHG/BBR/Lst-02

खान कोड 38CHG19002

दिनाक 28/06/2022

प्रेषिति- श्री के सी झंवर, मनोनीत मालिक कुकुरडीह चूना पत्थर खदान मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, (यूनिट रावण सीमेंट वर्क्स) पोस्ट- ग्रासिम विहार, ग्राम-रावण,

जिला - बलौदा बाजार - भाटापारा- 493196

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदा बाजार जिले मे स्थित आपकी कुकुरडीह चूना पत्थर खदान, 251.53 हे. मे खनिज सरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमो के उलंघन के संबंध में।

महोदय

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 14/06/2022 को अधोहस्तक्षरी द्वारा श्री मयंक सैनी, महाप्रबंधक खान की उपस्तिथि मे किया गया तथा खान के निरीक्षण मे पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

सर्वान स्व विकास विकासिता 2017 के विकासितां उनक्षेत्र का उत्स्ववा किया है।	
नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
11(1)	The following deviations are observed against the proposal in the approved Review of
	Mining Plan vide letter no. बलौदा बाजार / चूप /खयो-1213/2019-रायपुर dated
	09.12.2019 for the period from 2020-21 to 2024-25:
	i) In 2020-21 it was to proposed to 10.3 lakh Tonnes production of ROM. however
	it is observed that no ROM production is reported in 2020-21.in
	ii) In 2020-21 and 2021-22, OB/waste dumping was proposed between E 614046 -
	614152 & N 2395861-2395870. However it is observed during inspection that
	dumping is also carried out in western part against the approved proposal.
	iii) In 2020-21, a Retaining wall of 114m and Garland drain of 162m were proposed
	around waste/OB dumps. Similarly in 2021-22, a retaining wall of 195m and
	Garland drain of 315m were proposed around waste/OB dumps were proposed.
	However it is observed during inspection that the proposed Retaining wall and
	Garland drain have not been constructed.
12(1)	The prospecting and mining operations have not been carried out in such a manner so
	as to ensure systematic development of mineral deposits, conservation of minerals and
	protection of the environment.
	However it is observed during inspection that the boulder of limestone is dumped
	along with waste/OB at waste dump yard resulting threat to conservation of
	mineral.

- 2. इस संदर्भ मे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंड्नीय अपराध है एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अंतर्गत आपके विरुध अभियोग दायर किया जा सकता है 1
- 3. खिनज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2)) के अंतर्गत खान की सारी खनन संक्रियाए बंद की जा सकती है1 नियम 12(1) का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर राशि 500000/- रुपये जुर्माना जमा करना होगा।
- 4. अत: आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंधनों का अतिशिघ्र सुधार करे एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करे1

भवदीय

(दयानन्द उपाध्याय)) वरिष्ठ सहायक खान नियत्रंक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि- सुचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर 440001 Email-com.cz@ibm.gov.in
- 2. संचालक भौमिकी एवम खनिकर्म, छत्तिसगढ इंद्रावती भवन द्वितीय तल डी ब्लोक, केपिट्ल कोम्प्लेक्स , नया रायपुर, छत्तिसगढ- Email dgm.cg@gov.in

वरिष्ठ सहायक खान नियत्रंक भारतीय खान ब्यूरो